


 दूर भाष : 2300355, 2301754
 TELEPHONE: 2300355, 2301754
 ई-मेल : ors.gdc.soi@gov.in
 E-MAIL : ors.gdc.soi@gov.in
 फ़ैक्स : 0674-2301418
 FAX : 0674-2301418



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
 SURVEY OF INDIA

ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय
 ODISHA AND CHHATTISGARH GD
 भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SURVEY OF INDIA
 सर्वे भवन, SURVEY BHAWAN
 पी.ओ.-आर.आर.लैब, P.O.-R.R. LAB.
 भुवनेश्वर, BHUBANESWAR-751013

ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भुवनेश्वर नेमी आदेश संख्या 07 /37-जी-9(प्रशा) दिनांक 24.03.2026

ODISHA AND CHHATTISGARH GD'S ROUTINE ORDER NO. 07 /37-G-9(Adm.)

DATED 24.03.2026 .

1. मानदेय / HONORARIUM

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों को वर्ष 2025 के दौरान विशेष रूप में श्रम साध्य / सराहनीय कार्य के निष्पादन के सम्मान में अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का कार्यालय ज्ञापन सं. प्रशा. 24 / 18-D(EZO) दिनांक 18.03.2026 के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने दर्शाया गया रकम मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है।

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी के नाम तथा पदनाम	मानदेय का रकम
1.	Shri Pratap Kumar Baral, Officer Surveyor	Rs.2,500/-
2.	Shri S.Santosh Kumar, Officer Surveyor	Rs.2,500/-
3.	Shri Amrendra Dalei, D/man Div-I	Rs.5,000/-
4.	Smt. Sujata Das, Surveyor	Rs.2,500/-
5.	Shri Samir Kumar Ojha, Office Superintendent	Rs.2,500/-
6.	Kum K.Shikha, UDC	Rs.5,000/-
7.	Shri Sujit Jena, SCD Gde-I	Rs.2,500/-
8.	Shri Jagdish Thakur, MTS	Rs.2,500/-
9.	Shri Draivar Pradhan, MTS	Rs.2,500/-
10.	Shri Aditya Raj, MTS	Rs.5,000/-
Total		Rs.32,500/-

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक मामले में जिसमें मानदेय की संस्वीकृति प्रदान की गई है, एफ.आर.46(बी) में निहित तथ्यों को पूर्ण कर लिया गया है।
2. मानदेय प्रदान करते समय एफ.आर. 11 के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है।
3. इस मद पर होने वाला व्यय ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ जी.डी, भुवनेश्वर के लिए वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।
4. यदि उपरोक्त राशी का भुगतान वित्तिय वर्ष 2025-26 के दौरान नहीं किया जाता है तो

उसका भुगतान वित्तिय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा ।

II. संशोधन / CORRIGENDUM

इस कार्यालय के नेमी आदेश सं-06/37-जी-9(प्रशा) दिनांक 06.03.2026 के अंतर्गत क्रमांक सं-1 (अधिकारी सर्वेक्षक को Non-Functional Scale का लाभ) के तीसरे एवं चौथे पंक्ति में ओडिशा एवं सिक्किम जी.डी के स्थान पर ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जी.डी पढ़ा जाए । शेष पूर्ववत: लागू रहेंगे ।

(स्वर्णिमा बाजपेयी)

अधीक्षण सर्वेक्षक (एन.एफ.एस.जी)

निदेशक (सामयिक आधार पर)

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. Web admin महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादूनको इस अनुरोध से सूचनार्थ कि विभागीय Website में नेमी आदेश को दर्शाएँ ।
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु ।